भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1535
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/ 24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन प्रशिक्षण संस्थान

1535. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का संशोधित नागर विमानन नीति, 2025 के अंतर्गत ओडिशा में विमानन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए उक्त संस्थानों को विकसित करने और निजी कंपनियों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि पायलट प्रशिक्षण, विमान रखरखाव, हवाई यातायात नियंत्रण, ग्राउंड हैंडलिंग और अन्य विमानन-संबंधित क्षेत्रों सहित विमानन कौशल को बढ़ाना, ताकि ऐसी पहलों के माध्यम से ओडिशा में विमानन क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई संशोधित नागर विमानन नीति 2025 जारी नहीं की गई है।

(घ) ओडिशा में वर्तमान में पाँच (05) विमानन प्रशिक्षण संस्थान कार्यशील हैं। उनका विवरण निम्नानुसार हैं:-

उड़ान प्रशिक्षण संगठन - 01

(i) सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान (जीएटीआई)।

पिछले 02 वर्षों में जीएटीआई के उड़ान घंटों और प्रशिक्षित सीपीएल की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	उड़ान घंटे	सीपीएल
2023	4826:15	07
2024	2279	07

विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान-01

(i) मैसर्स उत्कल एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग

रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ):- 03

(i) एयरोपायनियर इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड, पुरी

(ii) सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, परलाखेमुंडी

(iii) स्काईवैन एविएशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, खोरदा

उपर्युक्त आरपीटीओ द्वारा अब तक कुल 312 रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (आरपीसी) जारी किए गए हैं।

ओडिशा सहित पूरे देश में विमानन क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:-

(i) देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने उदारीकृत एफ़टीओ दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसमें हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफ़टीओ द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को राजस्व शेयर का भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराए को बहुत हद तक तर्कसंगत बना दिया गया है।

(ii) वर्ष 2021 और 2022 में, एएआई ने दस हवाईअड्डों पर पंद्रह एफटीओ स्लॉट अवार्ड किए, जिनमें से ग्यारह एफटीओ स्लॉट प्रचालनशील हैं।

(iii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हाल ही में छात्रों में नागर विमानन क्षेत्र के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक इंटर्नशिप योजना "प्रदीप्ति" शुरू की है।

(iv) डीजीसीए ने नवंबर 2021 से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर (एएमई) और फ्लाइंग क्रू (एफसी) उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन-ऑन डिमांड परीक्षा (ओलोड) शुरू की है। यह सुविधा उम्मीदवारों को उपलब्ध परीक्षा स्लॉट में से तारीख और समय चुनने की अनुमति देती है।

(v) डीजीसीए ने उड़ान अनुदेशकों को एफटीओ में उड़ान परिचालन को अधिकृत करने का अधिकार देने के लिए अपने विनियमों में संशोधन किया है। यह अब तक केवल मुख्य उड़ान अनुदेशक (सीएफआई) या उप

सीएफआई तक ही सीमित था। इससे प्रत्येक एफटीओ में उड़ान के घंटे और विमान के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी और सीपीएल आवश्यकताएँ को जल्दी पूरा किया जा सकेगा।

(vi) डीजीसीए, ड्रोन नियमावली 2021 के अनुसार ड्रोन प्रशिक्षण विद्यालयों को अनुमोदन प्रदान करता है। इन नियमों के तहत, वर्तमान में, देश भर में ड्रोन प्रशिक्षण/ कौशल प्रदान करने के लिए 160 ड्रोन प्रशिक्षण विद्यालयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब तक, इन प्रशिक्षण विद्यालयों ने 22466 ड्रोन पायलटों को प्रमाणित किया है।

(vii) डीजीसीए ने दिनांक 03.01.2025 को एक नई नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर) सीएआर खंड 7 श्रृंखला I भाग V प्रकाशित की है, जिसका उद्देश्य एफटीओ की क्षमता का इष्टतम उपयोग करना और प्रशिक्षित सीपीएल के सृजन की संख्या बढ़ाना है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) की स्थापना संसद के अधिनियम, अर्थात राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज अमेठी में की गई है। इस विश्वविद्यालय को विमानन क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में विमानन उद्योग को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक विमानन पेशेवर और महत्वपूर्ण अनुसंधान उपलब्ध करवाना है। वर्तमान में, यह विश्वविद्यालय निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करता है:

क. एयरपोर्ट ऑपरेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएओ)

ख. एविएशन सर्विसेज और एयर कार्गो में प्रबंधन अध्ययन में स्नातक (बीएमएस)

ग. बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स (बीएफएफसी)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) की स्थापना नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सन 1986 में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) पायलटों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय विमानन पेशेवर तैयार करने के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में की गई थी। इग्रुआ निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करता है:

(i) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता (ईएलपी) प्रशिक्षण और परीक्षण

(ii) मैसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ड्रोन प्रशिक्षण

(iii) विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग (एएमई) प्रशिक्षण

*****